पुराने नोट से भरें शहरी निकायों के टैक्स

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला/ज्वालामुखी।

प्रदेश के सभी शहरी निकायों में लोग एक हजार और पांच सौ के पुराने नोट देकर टैक्स और अन्य भुगतान कर सकेंगे। सरकार ने 24 नवंबर तक यह व्यवस्था की है। केंद्र की अधिसूचना के बाद प्रदेश सरकार ने सभी शहरी निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायतों में ऐसे लाखों लोग हैं, जिन्होंने कई महीनों से टैक्स जमा नहीं करवाया है। कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने नगर निगम और निकायों से दुकानें किराये पर ले रखी हैं, किराया जमा न कराए जाने पर उन पर पेनल्टी लगाई गई है। शहरी निकायों के करोड़ों रुपये लोगों के पास फंसे हैं। इसमें कई लोग डिफाल्टर भी घोषित हो चुके हैं।

हिमाचल के शहरी निकायों में लोग 24 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट देकर टैक्स जमा करा सकते हैं। इस बारे में निकायों के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

– आरके पृथी, निदेशक, शहरी विकास विभाग

ज्वालामुखी में लोगों को किया जा रहा जागरूक

नगर परिषद ज्वालामुखी के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने कहा कि सरकार की अधिसूचना के मुताबिक लोगों को जानकारी दी जा रही है कि 24 नवंबर तक अपने 500-1000 रुपये के नोटों से नप की देय राशि का भुगतान सीधे नप के खाते में जमा करवा सकते हैं। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है।नप अध्यक्ष भावना सूद, उपाध्यक्ष सुखदेव शर्मा ने कहा कि नप ज्वालामुखी के बैंक खाते में यदि सारी बकाया राशि शहर की जनता जमा करवाती है तो इसके राजस्व में बढ़ोतरी होगी। व्यापार मंडल प्रधान अनीश सूद का कहना है कि सरकार के इस फैसले से शहर के व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी।

पुरानी करेंसी से टैक्स जमा करवा सकेंगे वाहन मालिक

शिमला (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। सवारियों से बसों में किराये के साथ अब वाहन मालिक भी परिवहन विभाग में पुरानी मुद्रा देकर पंजीकरण शुल्क, देनदारियां, टोकन टैक्स, विशेष पथ कर चुका सकेंगे। सरकार ने बुधवार को परिवहन विभाग और निगम के अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं। परिवहन निगम और विभाग में यह व्यवस्था 24 दिसंबर तक लागू रहेगी। हिमाचल में ऐसे सैकड़ों वाहन मालिक हैं, जिन्होंने परिवहन विभाग को टैक्स देना है।

वाहन मालिक पुरानी मुद्रा देकर पंजीकरण शुल्क, टोकन टैक्स व परिवहन विभाग और निगम की देनदारियां दे सकेंगे। हिमाचल में यह व्यवस्था 24 दिसंबर तक मिलेगी।

– जीएस बाली, परिवहन मंत्री

दो-तीन महीने से लोगों ने अपनी देनदारियां नहीं चुकाई हैं। ऐसे में परिवहन निगम ने ऐसे लोगों को मौका दिया है।